न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 88/2016

1. जगतारसिंह पुत्र करतारसिंह जाति मजहबी साकिन 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. तजेन्द्रसिंह
2. रूपेन्द्रसिंह
3. कुलमिन्द्र सिंह
4. हरेन्द्रजीत कौर

} पिसरान मनजीतसिंह जाति जटसिख साकिन 5 छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 5 छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओम प्रकाश बत्तरा अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03-11-17

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी के नाम से चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/28 मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 12, 1, 20, 21, 22 मुरब्बा नम्बर 27 का किला नम्बर 5/2 में 0.025, 6/2 का 0.025, 15/2 का 0.025, 16/1 का 0.038, 25/1 का 0.025, मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 2/2 में 0.024, हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 4 का .051 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है बाकी तमाम रकबा आबादी में गैर मुमकिन दर्ज है। तथा चक 5 ए छोटी का मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 4 में 0.051 हैक्टर में से 0.034 हैक्टर रकबा वादी को दिनांक 09.04.2013 को बेचान कर दिया। बैयनामा के आधार पर उपरोक्त चक 5 ए छोटी का मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 4 में 0.034 हैक्टर रकबा वादी के नाम किया गया नकल जमाबन्दी शामिल दावा हाजा है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम 0.493 हैक्टर व प्रतिवादीगण संख्या 5 के नाम से 0.029 हैक्टर तथा वादी के नाम से 0.034 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता होनें से वादी अपनी भूमि का सुधार करनें में परेशानी होती है तथा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जो किसान हित में योजना बना रखी है। उसे लोन अनुदान आदि लेनें में भारी परेशानी होती है। तथा लगान आदी जमा करवानें में पानी पर्ची आदि में परेशानी होती है। हालांकि वादी के पास मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 4 में 0.034 हैक्टर रकबा कब्जा काश्त एवम् राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज है उक्त खाता संयुक्त होनें की बजह से किला नम्बर का इन्द्राज नहीं होनें से भारी परेशानी होती है।

प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बंध में सहमती पत्र भी वादी के हक में लिख कर दिया हुआ है तथा मौका पर भी वादी काबिज चला आ रहा है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से कहा कि मुताबिक जमाबन्दी में कब्जा के आधार पर अपनी हिस्सा के ज़मीन का खाता अलग किया जाकर अलग किले दर्ज किये जावें। ताकि जमीन का सुधार कर सके पहले तो प्रतिवादीगण कहा कि आपके कब्जा के आधार पर रिकार्ड में दर्ज करवा देगें इसलिये आपको चिन्ता करनें की जरूरत नहीं है लेकिन कल रोज बंटवारा करनें से साफ इन्कार हो गये है यही बिनाय दावा है।

अतः निम्नलिखित आधार पर डिक्री फरमाया जावे :–

1. इस अमर की डिक्री जारी की जावे के चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 का 0.034 हैक्टर रकबा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करके खाता अलग किया जानें का आदेश फरमाया जावे।
2. वादी के नाम वादी के हिस्सा का अलग खाता दर्ज करके अलग लगान कायम किया जावे।
3. अन्य दादरसी जो न्यायालय उचित समझे वह दिलाई जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि उपरोक्त मुक्द्मा 88/16 में हमारा आपस में राजीनामा हो गया है अगर इस मुक्द्मा 88/16 में मुरब्बा नम्बर 40 में किला नम्बर 4 जगतारसिहं के नाम खाता किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि मिकर के मिकर के भाईयों तजेन्द्रसिंह, रूपेन्द्रसिंह व अन्यों नें चक 5 ए छोटी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/28 के रकबा में से जगतारसिंह पुत्र करतारसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 0.034 हैक्टर का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से किया गया तथा इसके आधार पर जगतारसिंह के नाम से इन्तकाल नम्बर 149 दिनांक 26.04.2013 को दर्ज हो चुका है।

उक्त रकबा जो बेचान किया गया है बयाना के पास कब्जा चक 5 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 के 0.051 हैक्टर कब्जा में होनें से इसी मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 के मुरब्बा नम्बर 0.051 में से 0.038 हैक्टर का जगतासिंह को दिया गया है तथा उसका कब्जा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 के 0.034 हैक्टर पर ही चला आ रहा है। तथा विभाजन आदि में यही रकबा जगतारसिंह के नाम से दर्ज किया जावे। तो इसमें मिकर को कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बाद तलबी उपस्थित नहीं आनें पर दिनांक 10.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 5 की और से प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक 5 ए छोटी मौजपुरा द्वारा जबाब दावा पेश कर दावा को स्वीकार करते हुए कथन किया कि पूर्व में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर था मगर बाद में उक्त पाठशाला को समायोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चक 5 ए छोटी मौजपुरा तहसील श्रीगंगानगर में कर दिया गया है। अतः दावा डिक्री किया जावे जो प्रतिवादी संख्या 5 को कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की और से पैराकार राज द्वारा जबाब पेश कर कथन किया कि प्रकरण में राज्य हित निहित नहीं होता है। क्योंकि वाद पक्षकारान के मध्य का है, ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष की और से विस्तृत जबाब वा पत्र अपेक्षित नहीं है। अतः राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वाद में वर्णित भूमि चक 5 ए के मुताबिक राजस्व अभिलेख भूमि में हरमितसिंह रणजितसिह पिसरान सतजीतसिह, बलजीत कौर पुत्र सतजीतसिंह, गुरवन्तकौर पत्नी प्रेमजीतसिंह भी वादी एवम् प्रतिवादी के साथ सह खातेदार है। जिनको वादी द्वारा अपनें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

A13/3

–:: आदेश ::–

चूँकि प्रतिवादीगण स्वयं का खाता विभाजन नहीं होनें के कारण विभाजन से पूर्व किला विशेष भूमि को बेचान करनें का अधिकार नहीं रखते है। तथा वादी द्वारा अपनी क्रय शुद्धा भूमि का नामान्तरकरण भी सहखातेदार के रूप में दर्ज हुआ है। वादी द्वारा मुताबिक राजस्व अभिलेख समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जानें के कारण वाद पत्र में अंकित तथ्यों से वादी को वाद कारण हासिल नहीं होनें से वादी का वाद पत्र पोषणीय नहीं के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 3/11/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)